न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 125/2021

जीसीएमएस न. 2021/263

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक ....24/11/25......

1. विजय पुत्र रामलाल मृतक

1/1 .योगराज पुत्र रामलाल जाति खत्री निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई हाल आबाद सैक्टर 37 नोएडा मकान नं0457, गौतम बुद्ध नगर (यू0पी0)

1/2 .कृष्णा बत्रा पुत्री रामलाल पत्नि कुन्दनलाल जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई हाल आबाद ग्राम पो0 उजीना जिला नूंह।

1/3 सुषमा पुत्री रामलाल पत्नि सुभाष गुलाटी जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई हाल आबाद मालवीय नगर, जयपुर।

—वादी

बनाम

1. कुंवर सिंह पि0 दौलत सिंह जाति जाट निवासी नंगला सोगरिया मजरा कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
2. मोहन सिंह पि0 दौलत सिंह जाति जाट निवासी नंगला सोगरिया मजरा कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
3. हुकम सिंह पि0 दौलत सिंह जाति जाट निवासी नंगला सोगरिया मजरा कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नदबई।
5. मैनेजर भूमि विकास बैंक, नदबई।

— प्रतिवादीगण असल

6. प्रेमचंद पुत्र रामलाल मृतक

6/1 मुकेश दुआ पुत्र प्रेमचंद दुआ जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई हाल आबाद नमस्ते रेस्टोरेन्ट , फागी मालपुरा रोड, ग्राम पोस्ट बाला वाला जिला

(मोहर: अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर))

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

जयपुर।

6/2. रमेश कुमार पत्नि प्रेमचंद दुआ जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई हाल आबाद आर्य समाज मंदिर के सामने हाट बाजार छीपा बडौद जिला बांरा।

6/3 ललित पुत्र प्रेमचंद जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई हाल आबाद बी. 211 ई.एन.सी.एल.ए.बी.ई. अनन्तपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा।

6/4 प्रमिला दुआ पुत्री प्रेमचंद दुआ जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई हाल आबाद ए04 अम्बेडकर विद्यालय मार्ग, गोपालपुरा बाई पास मार्ग, जयपुर।

7. ममता सचदेवा पुत्री मनोहरलाल पत्नि संजय सचदेवा जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई हाल आबाद देवली जिला टोंक।

8. किरन मेंहदीरत्ता पुत्री मनोहरलाल पत्नि हरीश मेहन्दीरत्ता जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई हाल आबाद मौहल्ला हसनपुर बाबल जिला रेवाडी हरियाणा।

– तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड0(वादीगण)

:: **निर्णय** :: दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि विवादित हाल आराजी खसरा न. 654 रकवा 0.28 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 10, 11 वाहिस्सा बरावर 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 , 1/6 हिस्से पर वाहिस्सा बरावर तथा तरतीवी प्रतिवादनी संख्या 8 व 9 1/6 पर वाहिस्सा बरावर खातेदार की तरह काबिज होकर अपने पिता व बाबा रामलाल पुत्र हेमराज जाति खत्री पंजाबी सा0 कस्बा नदबई तहसील नदबई की मृत्यु दिनांक 1.1.2007 से खातेदार की तरह काबिज होकर काश्त करते

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

चले आ रहे है। उक्त आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 की पुस्तैनी आराजी है।

2. यह है कि तर0 प्रतिवादीगण के पिता व बाबा रामलाल पुत्र हेमराज जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई की खातेदारी व कब्जे में सैटलमेन्ट संख्या 2060 से पूर्व खसरा नं0 410 रकवा 4 बी. 17 विस्वा एवं 469 रकवा 1 बी. 9 विस्वा खातेदारी व कब्जे काश्त में थे। जिनमें से साबिक खसरा नं0 410 रकवा 4 बी. 17 विस्वा एवं 469 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा खातेदारी व कब्जे काश्त में थें। जिनमें से साबिक खसरा नं0 410 रकवा 4 बीघा 17 विस्वा वादी एवं तर. प्रतिवादीगण के पिता व बाबा ने रामलाल ने प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा. 3 को जरिये रजि0 वयनामा प्रतिफल लेकर विक्रय कर दिया परन्तु सैटलमेन्ट संवत 2060 के अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलम तरिके से सैटलमेंट संवत 2060 से पूर्व साबिक खसरा नं. 469 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा वाके कस्बा नदबई प्रथम से बने नवीन खसरा नं. 654 रकवा 0.28 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई पर गलत तरिके से उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी के गलत इन्द्राजात कर दिये। इसी कारण वादी को अदालत श्रीमान में वादपत्र पेश किया जाना लाजमी हुआ है।

3. यह है कि विवादित आराजी वादी एवं त0 प्रतिवादीगण की पुस्तैनी आराजी है। सजरा वादी एवं त0 प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 वादपत्र में संलग्न है।

4. यह है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में सैटलमेन्ट संवत 2060 के अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र हाल खसरा नं0 654 रकवा 0.28 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम पर गलत तरिके से प्रतिवादीगण असल संख्या 1 लगायत 3 के नाम के खातेदारी के इन्द्राजात कर दिये है। जबकि उक्त विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। उक्त गलत इन्द्राजात खातेदारी से वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 को उक्त आराजी पर वादी संख्या 1, 6, 7, 10, 11 को वाहिस्सा बरावर 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 तथा तरतीवी प्रतिवादनी संख्या 8 व 9 को 1/6 हिस्से पर वाहिस्सा बराबर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 3 के नाम के विवादित आराजी खसरा नं0 654 रकवा 0.28 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम से इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादपत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह घोषित किया जावे कि वादी समूल तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 10, 11 विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 वादपत्र खसरा नं. 654 रकवा 0.28 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई तहसील नदबई के 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 हिस्से के एवं तर0 प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9, वाहिस्सा बराबर 1/6 हिस्से की खातेदार व काबिज है तथा प्रतिवादीगण असल संख्या 1 लगायत 3 के नाम के उक्त खसरा नं0 654 रकवा 0.28 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई से खातेदारी इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

(ब) यह कि स्थाई निषेधाज्ञा वाहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी गण सख्या 1 लगायत 3 विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 वादपत्र की आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को वय व मुन्तकिल न करे तथा वादी संख्या व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलदांजी न करे तथा ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अधिकारों पर कोई जबाल आवें

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर कोई उपस्थित न होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी हाल संवत 2074–77 खसरा नं0 654 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम (प्रदर्श–1), नकल जमाबंदी हाल संवत 2074–77 खसरा नं0 554, 563, 564, 565 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम (प्रदर्श–2), प्रमाणित प्रतिलिपि नकल नामान्तरण संख्या 1579 वाके कस्बा नदबई प्रथम (प्रदर्श–3), प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवंत 2060 वाके कस्बा नदबई प्रथम (प्रदर्श–4), नकल जमाबंदी हाल संवत 2047–50 वाके

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

ग्राम कस्बा नदबई प्रथम (प्रदर्श–5) नकल जमाबंदी मिसल बन्दोवस्त संवंत 2060 वाके कस्बा नदबई प्रथम (प्रदर्श–6), प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवंत 2051–54 वाके कस्बा नदबई प्रथम (प्रदर्श–7), प्रमाणित फोटोप्रति रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 10.05.1995 दस्तावेजात् पेश किये गये एवं मौखिक बयान के रूप में विजय पुत्र रामलाल कौम खत्री पंजाबी निवासी वार्ड संख्या 03, कस्बा नदबई पी0डब्ल्यू0 01 के रूप में एवं योगराज पुत्र रामलाल जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई हाल आबाद सैक्टर 37, नोएडा मकान नं0 457 जिला गौतम बुद्ध नगर यू0पी0 पी0डब्ल्यू. 02 शपथ पत्र पेश किये गये। शामिल पत्रावली किये गये।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस एकतरफा में सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया है। कि वाद पत्र में विवादित हाल आराजी खसरा न. 654 रकवा 0.28 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 10, 11 वाहिस्सा बरावर 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 , 1/6 हिस्से पर वाहिस्सा बरावर तथा तरतीवी प्रतिवादनी संख्या 8 व 9 1/6 पर वाहिस्सा बरावर खातेदार की तरह काबिज होकर अपने पिता व बाबा रामलाल पुत्र हेमराज जाति खत्री पंजाबी सा0 कस्बा नदबई तहसील नदबई की मृत्यु दिनांक 1.1.2007 से खातेदार की तरह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 की पुस्तैनी आराजी है। तर0 प्रतिवादीगण के पिता व बाबा रामलाल पुत्र हेमराज जाति खत्री पंजाबी निवासी कस्बा नदबई की खातेदारी व कब्जे में सैटलमेन्ट संख्या 2060 से पूर्व खसरा नं0 410 रकवा 4 बी. 17 विस्वा एवं 469 रकवा 1 बी. 9 विस्वा खातेदारी व कब्जे काश्त में थे। जिनमें से साबिक खसरा नं0 410 रकवा 4 बी. 17 विस्वा एवं 469 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा खातेदारी व कब्जे काश्त में थें। जिनमें से साबिक खसरा नं0 410 रकवा 4 बीघा 17 विस्वा वादी एवं तर. प्रतिवादीगण के पिता व बाबा ने रामलाल ने प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा. 3 को जरिये रजि0 वयनामा प्रतिफल लेकर विकय कर दिया परन्तु सैटलमेन्ट संवत 2060 के अधिकारियों व कर्मचारियों ने गलम तरिके से सैटलमेंट संवत 2060 से पूर्व साबिक खसरा नं. 469 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा वाके कस्बा नदबई प्रथम से बने नवीन खसरा नं. 654 रकवा 0.28 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भ...

नदबई पर गलत तरिके से उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी के गलत इन्द्राजात कर दिये। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 प्रेमचंद की मृत्यु हो चुकी है। अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 के वारिसान को संशोधित शीर्षक अनुसार रिकॉड पर लिया जा चुका है। अतः वादी के वारिसान 1/1 लगायत 1/3 को 1/6, 1/6, 1/6 वाहिस्सा बरावर एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 के वारिसान तर0 प्रतिवादी संख्या 6/1 लगायत 6/4 को 1/24, 1/24, /24, 1/24 वाहिस्सा बरावर तथा तरतीवी प्रतिवादनी संख्या 7 व 8 को 1/12, 1/12 हिस्से पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस अंतिम वादी के विद्वान अधिवक्तागण की एकतरफा में सुनी गयी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं रिकॉर्ड का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया वादी व तर0 प्रतिवादीगण के पिता व बाबा ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा संवंत 2060 से पूर्व के साबिक खसरा नं0 410 रकवा 4 बीघा 17 विस्वा का विकय प्रतिफल लेकर कर दिया, जिसका नामान्तरण संख्या 1579 दिनांक 19.07.1995 को स्वीकार किया गया (प्रदर्श–3) लेकिन सैटलमेन्ट संवंत 2060 के पूर्व के साबिक खसरा नं0 469 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा वाके कस्बा नदबई से बने खसरा नं0 654 रकवा 0.28 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम पर गलत तरिके से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम इन्द्राजात हो गये है। उक्त विवादित आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुस्तैनी आराजी है एवं इस विवादित आराजी का कोई हस्तान्तरण नहीं हुआ है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र हाल खसरा नं0 654 रकवा 0.28 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम पर गलत तरिके से प्रतिवादीगण असल संख्या 1 लगायत 3 के नाम के खातेदारी के इन्द्राजात कर दिये है, को कलमजन किया जाकर वादी के वारिसान 1/1 लगायत 1/3 को 1/6, 1/6, 1/6 वाहिस्सा बरावर एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 के वारिसान तर0 प्रतिवादी संख्या

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई (भरतपुर) राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

6/1 लगायत 6/4 को 1/24, 1/24, /24, 1/24 वाहिस्सा बरावर तथा तरतीवी प्रतिवादनी संख्या 7 व 8 को 1/12, 1/12 हिस्से पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिकी पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव RAS)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner